बुधवार, २५ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्षपद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३-२० म० प०

आंध्र राज्य बनाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १९ दिसम्बर, १९५२ को मैं ने इस सदन को सूचना दी थी कि भारत सरकार ने एक आंध्र राज्य बनाने का निश्चय किया है जिस में प्रस्तुत मद्रास राज्य के तेलगू भाषा भाषी क्षेत्र होंगे परन्तु मद्रास नगर उस में सम्मिलित नहीं होगा और कि सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के० एन० वांचू को इसलिये नियुक्त कर रही है कि वे इस निर्णय के वित्तीय तथा अन्य परिणामों तथा इसे कार्यरूप में परिणत करने के सम्बन्ध में विचारणीय प्रश्नों पर विचार करें और इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार को दें ।

न्यायमूर्ति श्री वांचू ने यह जांच की और ७ फरवरी, १९५३ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । इस रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिय संख्या ४ सी० सी० । (१४९)**] इस की अन्य प्रतियां सदस्यों को मिल सकेंगी

सरकार ने न्यायमूर्ति श्री वांचू की रिपोर्ट तथा आंध्र राज्य की स्थापना से सम्बद्ध अन्य मामलों पर बड़ी सावधानी से विचार किया है । इन में से कुछ मामले ऐसे हैं, विशेषकर वित्त सम्बन्धी तथा सेवाओं पर इस निर्णय के परिणाम, जिन पर और ब्यौरेवार विचार किये जाने की आवश्यकता है । इन पर विचार किया जा रहा है । परन्तु कुछ ऐसे राजनीतिक प्रश्न हैं जिन के कारण वाद विवाद उठ खड़ा हुआ है और जिन का निर्णय फौरन ही करना होगा जिस से कि यह काम आगे बढ़ सके । इन के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ निर्णय किये हैं ।

जिन मूल बातों को ध्यान में रखना है, वे यह हैं कि एक आंध्र राज्य की स्थापना की जानी है और इस में वर्तमान मद्रास राज्य के तेलगू भाषा भाषी क्षेत्र सम्मिलित होने चाहिये । और इस बात का भी ध्यान रखना चाहियें कि प्रस्तावित आंध्र राज्य में मद्रास नगर सम्मिलित नहीं किया जायेगा । इसलिये आंध्र राज्य में वर्तमान मद्रास राज्य के वे तेलगू भाषा भाषी क्षेत्र होंगे जिनके सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं है । बाद में चल कर, जैसा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कि मैं बाद में बताऊंगा, सम्भव है कि इस नए राज्य की ठीक ठीक सीमाओं का निर्णय करने के लिये एक सीमा आयोग या कई आयोग बनाने पड़ें क्यों कि इस जांच पड़ताल में कुछ देरी लगने की संभावना है, यह होना चाहिये कि ज़िलों की वर्तमान सीमाओं के आधार पर—सिवाय एक मामले के, जहाँ कि सीमा सम्भवत: ताल्लुकों के अनुसार होगी—यथासम्भव इस राज्य की स्थापना कर दी जाय।

आंध्र राज्य में निम्नलिखित ११ ज़िले होंगे :—(१) श्रीकाकुलम (२) विशाखापटनम् (३) पूर्वी गोदावरी (४) पश्चिमी गोदावरी (५) कुठरया (६) गुन्टूर (७) नेल्लोर (८) कर्नूल (९) अनन्तपुर (१०) कुडप्पाह और (११) चित्तूर। इस में बेल्लारी ज़िले का एक भाग भी सम्मिलित होगा जैसा कि मैं आगे चल कर बताऊंगा।

यह तो स्पष्ट है कि आंध्र राज्य की राजधानी नए राज्य के क्षेत्र में ही होनी चाहिये। सरकार का विचार यह है कि आंध्र की जनता ही अपनी विधान सभा द्वारा यह निर्णय करे कि यह राजधानी कहां हो।

यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि आंध्र राज्य की स्थायी राजधानी का पर्याप्त प्रबन्ध होने तक उस की अस्थायी राजधानी कहां बने। यह सुझाव दिया गया है कि यदि यह अस्थायी राजधानी मद्रास नगर में बने तो कुछ सुविधा रहेगी। यह सच है कि यदि अस्थायी राजधानी मद्रास नगर में बना दी जाये तो निवास स्थान आदि के सम्बन्ध में कुछ सुविधायें अवश्य होंगी परन्तु सरकार के विचार में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रस्ताव के माने जाने के सर्वथा विरुद्ध हैं। यह वांछनीय है कि इस नये राज्य की स्थापना के प्रारम्भ से ही इस का राजनीतिक प्रधान कार्यालय इसी के क्षेत्र में हो और यह पूरी-इकाई के रूप में काम कर सके तथा कोई बात इस के रास्ते में बाधा न बने। नये राज्य के सम्पूर्ण विलय तथा प्रगति में इस बात से सुविधा होगी और किसी अन्य राज्य में अस्थायी राजधानी रखने से उत्पन्न हो सकने वाले उलझाव उत्पन्न ही नहीं होंगे। आंध्र राज्य की राजनीतिक राजधानी प्रारम्भ में ही उसी के क्षेत्र में होने से नये राज्य तथा बाकी बचे राज्य के बीच सामान्य तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने में सुविधा होगी।

इसलिये सरकार का विचार है कि आंध्र राज्य की अस्थायी राजधानी आंध्र में ही होनी चाहिये। इस का अर्थ यह है कि राज्यपाल, मंत्रियों तथा विधान मंडल के कार्यालय नए आंध्र राज्य के क्षेत्र में ही होने चाहियें। यह अस्थायी राजधानी कहां हो—इस का निर्णय भी आंध्र राज्य की जनता पर छोड़ देना चाहिये। मद्रास विधान सभा के आंध्र के सदस्य जो कि बाद में सम्भवत: नये राज्य की विधान सभा के सदस्य होंगे यह निर्णय कर सकते हैं। भारत सरकार को यह निर्णय जुलाई १९५३ के प्रारम्भ तक बता दिया जाना चाहिये।

इस राज्य की राजधानी तो, इस के उद्घाटन के दिन से ही, इस के अपने क्षेत्र में होनी चाहिये, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि आंध्र राज्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी कार्यालय भी उसी तिथि से नये राज्य में लाये जायें। आंध्र राज्य के कुछ दफ्तर उन्हें आंध्र राज्य के क्षेत्र में स्थापित करने का प्रबन्ध किये जाने तक मद्रास नगर में ही रह सकते हैं। सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि बाकी का मद्रास राज्य ऐसे दफ्तरों को स्थान देने का भरसक प्रयत्न करेगा।

नये आंध्र राज्य का उद्घाटन पहली अक्तूबर १९५३ को किया जायगा जोकि इस प्रयोजन के लिये उचित तथा सुविधाजनक तिथि समझी गई है ।

यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिये कि ऐसी सभी प्रस्थापनाओं के लिये जो केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में हों, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी और वे इस बात पर निर्भर होंगी कि केन्द्रीय सरकार में सहायता देने की सामर्थ्य है या नहीं । इसलिये राजधानी या किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में निर्णय के लिये, जिस का सम्बन्ध वित्तीय सहायता से हो, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी, उस हद तक जहां तक कि वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है ।

आंध्र विधान मंडल को नये राज्य के उद्घाटन के बाद, नये राज्य के क्षेत्र में ही उच्च न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये । यह निर्णय होने तक, कि वर्तमान मद्रास उच्च न्यायालय, आंध्र राज्य के उच्च न्यायालय के रूप में भी कार्य करता रहा है । इस कालावधि में, आंध्र के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के प्रशासन के बारे में तथा अन्य मामलों के बारे में, जो कि आवश्यक समझे जायें, कुछ आवश्यक रूढ़ियों के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

आंध्र राज्य के विधान मंडल का एक ही सदन--विधान सभा--होगा । जहां तक बाकी के मद्रास राज्य का सम्बन्ध है, उस के दूसरे सदन के भविष्य का निपटारा करने का काम मद्रास राज्य पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये ।

प्रारम्भ में नई आंध्र राज्य विधान सभा के सदस्य वे होने चाहियें जो कि आंध्र राज्य के क्षेत्रों से चुने जा कर वर्तमान मद्रास विधान सभा के सदस्य हैं ।

बेलारी ज़िले के प्रश्न पर विशेष रूप से विचार करना होगा और इसे किसी राज्य में मिलाने के लिये अलग इकाई नहीं समझा जा सकता । इस में दो भाषायें बोली जाती हैं और इस में कन्नड़ भाषा बोलने वालों की संख्या स्पष्टतया अधिक है । इस समय इस ज़िले में दस ताल्लुके हैं । ६ ताल्लुकों, अर्थात हरपनाहाल्ली, हादागाल्ली, होस्पत उत्तर, होस्पत दक्षिण, सन्दूर और सिरुगुप्पा--इन में से प्रत्येक में--कन्नड़ भाषा बोलने वालों की बहुत अधिक संख्या है । तीन ताल्लुकों, अर्थात्, अडोनी, अलूर और रायाद्रुग म तेलगू भाषा बोलने वालों का भारी बहुमत है । बेल्लारी के बाकी ताल्लु के में मिली जुली जनसंख्या है और इस में कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होगा । इस लिये सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि अडोनी, अलूर तथा रायद्रुग के तीन ताल्लुके नये आंध्र राज्य में मिला दिये जायें और पहले बताये गये ६ कन्नड़ भाषा भाषी ताल्लुके मैसूर राज्य का भाग बनें । बेल्लारी ताल्लुके के सम्बन्ध में सरकार की राय है कि इस प्रश्न पर और विचार कर के बाद में निर्णय किया जाय ।

तुंगभद्रा योजना का एक भाग होस्पत उत्तर ताल्लके में है और दूसरा भाग हैदराबाद राज्य में । इस प्रकार आंध्र राज्य की स्थापना के बाद, होस्पत उत्तर ताल्लुके में स्थित, योजना का यह भाग मैसूर राज्य में होगा । इस योजना से न केवल उन क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा जो कि मैसूर राज्य में जायेंगे बल्कि आंध्र राज्य के कुछ भागों को भी । इन दोनों राज्यों को इस योजना में विशेष दिलचस्पी होगी । इसलिये सम्बद्ध राज्य द्वारा केन्द्रीय

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सरकार के सहयोग से इस योजना के संयुक्त नियंत्रण तथा निरीक्षण के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाने चाहियें। सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, तथा सम्बद्ध राज्यों के साथ परामर्श कर के, आवश्यक वित्तीय तथा अन्य प्रबन्ध करेगा और इस प्रयोजन के लिये एक योजना तैयार करेगा। नये राज्य के उद्घाटन तक, मद्रास सरकार पहले की तरह तुंगभद्रा योजना पर कार्य करती रहेगी। पहली अक्तूबर से, सम्बद्ध राज्य केन्द्रीय सरकार की सहायता से, इस काम के लिये तैयार की गई योजना के अनुसार इस को चलायेगी। अच्छा तो यह है कि इस योजना का काम, इस के पूर्ण होने तक, प्रस्तुत व्यवस्था के अनुसार ही चलता रहे।

आंध्र राज्य की स्थापना के कुछ समय बाद, उस राज्य की ठीक ठीक सीमायें निश्चित करने और उस राज्य की बाकी के मद्रास राज्य या मैसूर राज्य के साथ लगने वाली सीमायें फिर से ठीक ठाक करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये एक या कई सीमा आयोग नियुक्त किये जायेंगे।

आंध्र राज्य की स्थापना के वित्तीय परिणामों तथा सेवाओं के प्रश्न पर बाद में अलग से विचार किया जायगा। जहां तक संभव हो, वही अधिकारी रहने चाहिय जो कि इस समय आंध्र में काम कर रहे हैं। वर्तमान मद्रास सरकार के सीनियर अधिकारियों की एक समिति को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी के परामर्श से इस बात पर विचार करना चाहिये कि आंध्र राज्य तथा बाकी के मद्रास राज्य के बीच सेवाओं के सम्बन्ध में क्या समायोजन आवश्यक हैं।

आंध्र राज्य की स्थापना के निर्णय को कार्यरूप में परिणत करने के लिये संसद के अगले सत्र में विधान रखा जायेगा परन्तु ऐसा विधान रखने से पहले सम्बद्ध राज्यों के विधान मण्डलों के विचार जान लिये जायेंगे जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ३ के अधीन अपेक्षित है।

सरकार को यह विश्वास है कि इस नये राज्य की स्थापना जिस की इच्छा आंध्र की जनता को इतने दिनों से थी, सभी सम्बद्ध लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से होगी जिस से कि इस राज्य का बहुत ही शुभ प्रारम्भ हो और इस के लोगों की प्रगति हो तथा वे सुखी हों। नये राज्य की स्थापना मद्रास नगर के सांस्कृतिक जीवन में, जिस में कि आंध्र के लोगों का इतना बड़ा हिस्सा है, बाधा नहीं होगी, और न ही बनने पायेगी। जो लोग आश्वासन देने की स्थिति में हैं, उन्हों ने यह आश्वासन दिया है कि मद्रास नगर में रहने वाले आंध्र लोगों को शिक्षा की अस्पतालों की तथा अन्य सुविधायें पूर्ववत् मिलती रहेंगी।

मुझे पूरी आशा है कि आंध्र राज्य की स्थापना के प्रश्न पर जो वाद विवाद चलता रहा है, अब समाप्त हो जायेगा और हम सब के मिल जुल कर प्रयत्न करने से इस की स्थापना सफल होगी और यह सफलतापूर्वक चलेगा।

श्री रघुरामय्या (तेनाली) : श्रीमान्, क्या मैं कुछ बातों पर स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

लोक लेखा समिति की छटी रिपोर्ट

श्री बो० दास (जाजपुर–क्योंझर) : मैं हीराकुड बांध परियोजना के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति की छटी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ४.०.० (६०)]**